

**DIVISIONAL FOREST OFFICER
WILDLIFE DIVISION, RANCHI**

Short Tender Notice

Sealed tender is invited from interested people for running the canteen at Van Bhawan Campus, Doranda, Ranchi situated near the entrance gate during 2018-19 to 2022-23

1.	Tender No.	01/2018-19
2.	Availability of tender document	From the date of publication of Tender
3.	Last date for submission of Tender	16.07.2018, 10.00 AM
4.	Place for submission of Tender	Office of Divisional Forest Officer, Wildlife Division, Ranchi.
5.	Opening of Tender	16.07.2018, 11.00 AM
6.	Place for opening of Tender	Addl. Principal Chief Conservator of Forest, Development Jharkhand Ranchi
7.	Cost of Tender document & EMD	Cost of document : Rs. 2000/- EMD : Rs. 50000/-

Tender document and form can be obtained from the Office of Divisional Forest Officer, Wildlife Division, Ranchi during the specified period or can be downloaded from the website : www.forest.jharkhand.gov.in For detailed information, one can contact the office of the undersigned or can visit the website.

Sd/-
Divisional Forest Officer
Wildlife Division Ranchi
Email : dforanchiwd@gmail.com

वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची।
निविदा सूचना संख्या – (ज0गृ0)01/2018–19

**वन भवन डोरण्डा परिसर स्थित जलपान गृह संविदा पर चलाने हेतु
निविदा शर्त**

संविदा अवधि : न्यूनतम एक वर्ष एवं अधिकतम पाँच वर्ष

1. वन भवन डोरण्डा, राँची में वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक की अवधि में संविदा पर जलपान गृह चलाने हेतु विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची के पदनाम से आमंत्रित की जाती है। जलपान गृह का स्थल विवरण निम्नवत है:

वन भवन डोरण्डा के मुख्य द्वार के समीप निर्मित जलपान गृह।

2. निविदा प्रपत्र (निविदा शर्तों सहित) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची स्थित कार्यालय से कार्यालय अवधि के दौरान विहित मूल्य का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता निर्दिष्ट तिथि एवं समय तक वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची के कार्यालय में रखे गए निविदा पेटी में निविदा डालने के लिए स्वतंत्र होंगे। निविदादाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे निविदा की तकनीकी प्रयत्न/बोली एवं वित्तीय प्रयत्न/बोली अलग-अलग मुहरबंद लिफाफा में डालें जिसके आवरण पर “तकनीकी प्रयत्न/बोली– जलपान गृह संविदा पर चलाने हेतु निविदा” एवं “वित्तीय प्रयत्न/बोली– जलपान गृह संविदा पर चलाने हेतु निविदा” अंकित हो।
3. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाएं यथा निर्दिष्ट तिथि/समय पर डोरण्डा स्थित वन भवन में खोली जाएंगी जिस दौरान निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उचित प्राधिकरण –पत्र के साथ उपस्थित रह सकते हैं। यदि कोई निविदादाता अथवा उनका प्रतिनिधि निविदा खोलने के दौरान उपस्थित नहीं रहता है तो इसका प्रभाव निविदा प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा तथा निविदा मान्य होगा।
4. जलपान गृह के लिए एक ही निविदा डाली जायगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य रु0 2000/– हैं। कार्यालय से निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने की स्थिति में प्रपत्र का मूल्य नकद रूप में जमाकर मनी रशीद प्राप्त करना होगा जिसे निविदा प्रपत्र के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा। वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में प्रपत्र का मूल्य बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता अपनी निविदा के साथ जलपान गृह हेतु सत्यंकार राशि (EMD) के रूप में कुल रु0 50000/– (पचास हजार रुपये मात्र) का बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची के पक्ष में निर्गत तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतये हो अथवा स्वयं के नाम का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची के पदनाम को प्लेज्ड (pledged) हो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
6. निविदादाता निर्धारित प्रपत्र में जलपान गृह को चलाने हेतु कुल मासिक शुल्क साफ–साफ अंक एवं शब्द में अंकित करेंगे। अर्पित मासिक शुल्क एक वर्ष, दो वर्ष एवं पाँच वर्ष के लिए अंकित किया जायगा।
7. निविदा प्रपत्र में निविदादाता अनिवार्य रूप से प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा और समझा है तथा वे सभी शर्तों को स्वीकार करेंगे।
8. सशर्त एवं त्रुटिपूर्ण निविदा अथवा बिना सत्यंकार राशि के समर्पित निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वैसे निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

9. सफल निविदादाताओं को निविदा की स्वीकृति की तिथि से एक सप्ताह के भीतर एक वर्ष की संविदा अवधि के निविदा राशि का 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) जमानत राशि विहित रूप में जमा करते हुए संविदा पर हस्ताक्षर करना होगा। जमानत की राशि बैंक द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची के पक्ष में निर्गत बैंक गारंटी अथवा निविदादाता के नाम का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची के पदनाम को प्लेज्ड (pledged) हो, के रूप में जमा करना होगा।
10. सफल निविदादाताओं द्वारा जमा सत्यंकार राशि यदि विहित रूप में हो तो उसे निविदादाता के लिखित अनुरोध पर जमानत की राशि में समायोजित कर दिया जाएगा। शेष असफल निविदादाताओं की सत्यंकार राशि निविदाओं पर अन्तिम निर्णय के पश्चात वापस कर दी जाएगी।
11. यदि सफल निविदादाता जमानत की राशि निर्धारित समय पर जमा करने एवं संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई सत्यंकर राशि राज्यसात कर ली जायेगी और द्वितीय निविदादाता को अवसर दिया जायेगा जिस पर प्रथम सफल निविदादाता को किसी प्रकार की आपति उठाने का अधिकार नहीं रहेगा।
12. सफल निविदाता (जलपान गृह संचालक) को पूरे संविदा अवधि की निविदा राशि (शुल्क) मासिक किस्त के आधार पर प्रतिमाह जमा करनी होगी। प्रथम किस्त कार्य प्रारंभ करने का आदेश प्राप्त करने के पूर्व एवं अन्य किस्त संबंध महीने की समाप्ति के पूर्व जमा कर देना होगा। ऐसा नहीं करना संविदा के शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा एवं ऐसी स्थिति में संविदा को रद्द करने तथा जमानत की राशि राज्यसात करने का पूरा अधिकार समिति को होगा।
13. कार्यालय परिसर में स्थित जलपान गृह में किसी प्रकार का तेज music चलाने का अधिकार नहीं होगा।
14. जलपान गृह में अच्छे किस्म की सामग्रियों को बिक्री हेतु रखनी होगी। यदि घटिया किस्म के खाद्य सामग्रियों की बिक्री की जाती है अथवा इसकी शिकायत विभागीय कर्मचारी द्वारा की जाती है, तो समिति को अधिकार होगा कि वे संचालक पर अर्थदण्ड लगा सकें या संविदा रद्द कर सकें।
15. जलपान गृह में शराब तथा नशीले पेय की बिक्री एवं उनका सेवन पूर्णतः वर्जित होगा, साथ ही साथ यदि बाहर से आने वाले कोई व्यक्ति जोर जबरदस्ती कर किसी नशीले पेय का सेवन करने का प्रयास करते हैं तो इसकी सूचना सफल निविदादाता द्वारा तुरंत वन प्रशासन को देना अनिवार्य होगा।
16. जलपान गृह में पान, पान मसाला, गुटका, बीड़ी-सिगरेट, तम्बाकू, प्लास्टिक की वस्तुओं आदि सहित सभी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री वर्जित होगी।
17. जलपान गृह में बिक्री हेतु रखी गयी खाद्य सामग्रियों का बिक्री दर संचालक द्वारा जलपान गृह के अंदर एवं बाहर दर तालिका प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। विभागीय स्तर पर गठित समिति एवं संचालक द्वारा खाद्य सामग्री के दर के नियंत्रण/गुणवत्ता निर्धारण के अनुसार दर मान्य होंगे। सभी Cooked items की दर कैंटीन के लिये गठित विभागीय कमिटी एवं संचालक की सहमति से तय की जाएगी।
18. खाद्य सामग्री की आपूर्ति की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, विशेष कर Cooking Oil, Ghee, मसाले का स्तर प्रमाणिक फर्म/कम्पनी का होना चाहिए।
19. जलपान गृह संचालक को अपना कार्य क्षेत्र साफ एवं स्वच्छ रखना होगा। जलपान गृह में किसी प्रकार की बिक्री, पोलीथीन पैक में नहीं किया जायेगा। जलपान गृह के दीवारों पर दर/तालिका के अतिरिक्त किसी प्रकार का लिखाई-पोताई नहीं करना होगा। जलपान गृह संचालन में उत्पन्न सभी प्रकार के कचड़ा का संग्रहण वन परिसर के बाहर उसका निष्पादन करने की व्यवस्था संचालक स्वयं करेंगे। यदि दीवार पर लिखाई-पोताई पायी जाती है अथवा कचड़ा बिखरा हुआ पाया जाता है तो संचालक अर्थदण्ड के भागीदार होंगे। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा जो संचालक को मान्य होगा।
20. विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए उपस्कर, विद्युत उपकरण तथा अन्य सामग्रियों के टूट-फूट की पूरी जिम्मेवारी संचालक पर होगी एवं वैसी स्थिति में सामग्रियों/उपकरणादि की मरम्मत अथवा नई सामग्री खरीदने की जिम्मेदारी संचालक पर होगी।

21. जलपान गृह चलाने के कार्य पर लागू होने वाले सभी अधिनियम/नियम के पालन हेतु संचालक स्वयं जिम्मेवार होंगे। जलपान गृह में कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी इत्यादि का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा अधिसूचित दर पर ही संचालक को करनी होगी। यदि भुगतान में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी संचालक पर होगी।
22. जलपान गृह में waiter के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का स्वच्छ परिधान में रहना अनिवार्य होगा।
23. विद्युत अथवा जलापूर्ति बाधित होने पर संचालक को वैकल्पिक व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जलपान गृह में उपयोग किये गये विद्युत खर्च का वहन संचालक को करना होगा। इस हेतु संचालक को अपने खर्च पर एक सबमीटर लगाना होगा और सबमीटर में दर्शायी गयी यूनिट की राशि का भुगतान संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी को किया जायेगा। (अगर संचालक को डी.जी. सेट कनेक्शन की आवश्यकता हो तो संबंधित वनक्षेत्र पदाधिकारी को आवेदन देकर कनेक्शन ले सकते हैं और इसके लिए वनक्षेत्र पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर उसका भुगतान करना होगा।
24. संचालक द्वारा विद्युत हीटर का उपयोग नहीं किया जायेगा।)
25. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में जलपान गृह के संबंध में निर्देश जारी किया जाता है तो जलपान गृह संचालक द्वारा उसका अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
26. निविदा की ऐसी शर्तों, जिनके उल्लंघन के लिए दंडात्मक/निवारक प्रावधान अंकित नहीं हैं, का जलपान गृह संचालक (सफल निविदादाता) द्वारा उल्लंघन किए जाने पर समिति को अधिकार होगा कि वे स्वविवेकानुसार दोषी संचालक पर यथोचित अर्थदण्ड लगाएँ अथवा जमानत की राशि राज्यसात करते हुए निविदा रद्द कर दें।
27. वन भवन, डोरण्डा में कार्यरत किसी भी स्थाई/अस्थायी कर्मचारी अथवा दैनिक मजदूर को निविदा समर्पित करने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी कर्मचारी का जलपान गृह के संचालन/निविदा में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त होने के प्रमाण पाये जायेंगे तो दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारी को बिना कोई नोटिस दिये कार्य से हटा दिया जायेगा एवं स्थायी कर्मचारी के मामले में कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
28. यदि आवश्यक हो तो निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर कार्यावधि के दौरान सम्पर्क स्थापित कर निविदा के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है अथवा शंका निवारण किया जा सकता है।
29. इन शर्तों के अतिरिक्त अगर किसी संबद्ध विषय पर विवाद उत्पन्न होता है तो सफल निविदादाता (जलपान गृह संचालक) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पास अपील कर सकते हैं जिनका निर्णय अन्तिम होगा एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।
30. निविदादाता द्वारा website से download किये गये निविदा प्रपत्र की कीमत draft/payorder के रूप में निविदा के साथ देनी होगी, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
31. समिति को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये एक या सभी निविदाओं को अस्वीकृत कर दें।
32. निविदा अवधि न्यूनतम एक वर्ष तथा अधिकतम पाँच वर्ष के लिये मान्य होगा। यदि निविदाकर्ता की सेवा/कार्यकलाप संतोषजनक रहा तो निविदा की अवधि एक वर्ष तक विस्तारित किया जा सकेगा।
33. वैसे निविदादाता जिनका अपना Snacks, Sweets, Milk Product बनाए जाने का दुकान एवं कार्यबल हो तथा जिनके अपने दूध आदि का संसाधन हो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में निविदादाता प्रमाण स्वरूप संबंधित कागजात आदि भी समर्पित करेंगे।
34. कैटीन परिसर में Cooking ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था तथा सभी साजो-सामान संचालक के द्वारा की जायेगी, जो एक साफ सुथरा सुव्यवस्थित कैन्टीन के रूप में दिखना चाहिए।

वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची
वन भवन डोरण्डा परिसर स्थित जलपान गृह संविदा पर चलाने
हेतु निविदा प्रपत्र—
संविदा अवधि : 2018—19 से 2022—23
निविदा प्रपत्र का मूल्य : ₹ 2000 /—
मूल्य भुगतान का मनी रसीद निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

कार्यालय उपयोग हेतु
निविदा प्रपत्र सं० :
मनी रसीद सं० / तिथि:
हस्ताक्षर

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची।

विषय : वित्तीय प्रयत्न / बोली।

महाशय,

राँची डोरण्डा स्थित वन भवन में जलपान गृह को वित्तीय वर्ष 2018—19 से 2022—23 तक संविदा पर चलाने के लिए निविदा समर्पित कर रहा हूँ। मैंने निविदा शर्तों को पढ़ा एवं समझा है तथा सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ। मेरे विरुद्ध आयकर विभाग अथवा केन्द्र / राज्य सरकार का कोई बकाया नहीं है।

1. निविदादाता का नाम :
2. निविदादाता के पिता / पति का नाम :
3. पता : (क) वर्तमान पता :
(ख) स्थाई पता :
4. निविदादाता के पत्राचार का पता :
5. (i) फोन सं० :
(ii) ई-मेल :

6. निविदादाता द्वारा जलपान गृह के लिए साज-सज्जा, साफ-सफाई एवं अनुकूल वातावरण रखने हेतु किये जाने वाले प्रावधानों का संक्षिप्त व्योरा :
7. निविदादाता द्वारा जलपान गृह में बनाये जाने वाले शाकाहारी व्यंजनों की सूची
8. निविदादाता द्वारा जलपान गृह के कार्य करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव (इसके साक्ष्य में अभिलेख के रूप में जिस संस्था के अन्तर्गत जलपान गृह चला रहे हो, उनका प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
9. **अर्पित दर :**

क्र० सं०	अवधि	निविदादाता द्वारा ऑफर किया गया मासिक शुल्क		अग्रधन का व्योरा
		अंकों में (रु०)	शब्दों में (रु०)	
1	एक वर्ष			
	दो वर्ष			
	तीन वर्ष			

1. फर्म निबंधन प्रमाण पत्र/पेन कार्ड/यदि निविदादाता व्यक्ति के रूप में निविदा समर्पित करते हैं तो स्वयं के नाम का अचल सम्पत्ति का रजिस्ट्री कागजात।
2. GST में निबंधन का प्रमाण पत्र।
3. सरकारी कैंटीन से संबंधित सभी सरकारी टैक्सों को देय संचालक की जिम्मेवारी होगी।

विश्वासभाजन

निविदादाता का हस्ताक्षर